भारतीय गैर न्यायिक

बीस हजार रुपये

RUPEES 20000

Rs. 20000 INDIA NON JUDICIAL Rs. 20000

03CC 306743

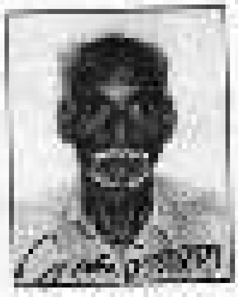

## विक्रय विलेख

| | |
|---|---|
| विक्रय मूल्य | : रु0 11,35,000/- |
| बाजारू मूल्य | : रु0 5,74,500/- |
| स्टाम्प शुल्क | : रु0 1,13,600/- |
| परगना | : बिजनौर |

यह विक्रय विलेख गंगाराम पुत्र छेदा निवासी-ग्राम-यूसुफ नगर उर्फ बनियाखेड़ा, परगना-बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ जिसे आगे विक्रेता कहा गया है, एवम् मथान पुत्र

कार्यालय [illegible], [illegible]

0714203

20000

[illegible]

रु० 113580 69/-

5000 + 20 = 5020/-

गंगाराम [illegible] द्वारा

पेशा सर्विस [illegible] मुजफ्फरनगर [illegible]

[illegible]

दिनांक 8-12-04 [illegible]

[illegible]

[illegible]

नि.नि. गंगाराम

उप निबन्धक ([illegible])

8-12-04

[illegible] गंगाराम [illegible] [illegible]

कार्यालय उप निबन्धक [illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

बीस हजार रुपये

RUPEES

20000

Rs. 20000

INDIA NON JUDICIAL

Rs. 20000

03CC 306744



श्री पिंकू, वर्तमान निवासी-254, चन्द्रलोक कालोनी, अलीगंज, लखनऊ एवं स्थाई निवासी-ग्राम -मिर्जापुर मिटारी, पोस्ट-नौगाँव, जिला- फतेहपुर जिसे आगे क्रेता कहा गया है, के मध्य निष्पादित किया गया।

यह कि विक्रेता भूमि खसरा नं0 102 रकबा 0.605 हेक्टेयर, स्थित ग्राम युसुफ नगर उर्फ कमिलापुर, परगना-बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ, का मालिक, काबिज व काबिज है तथा उपरोक्त सत्यापित खतौनी खाता खतौनी क्रम संख्या 26 के अनुसार उक्त भूमि विक्रेता के नाम का अमल दरामद राजस्व

कार्यालय [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह [illegible] व्यापार

निवासी [illegible]

श्री सुनील सिंह [illegible] व्यापार

पुत्र श्री [illegible]

निवासी 298 [illegible]

[illegible]

8-12-04

[illegible]

[illegible]

[illegible] -12-04

भारतीय गैर न्यायिक

बीस हजार रुपये

RUPEES

20000

Rs. 20000 INDIA NON JUDICIAL Rs. 20000

03CC 306745

-2-

अभिलेखों में हो गया है। विक्रेता अपनी कुल भूमि क्रेता को इस विक्रय विलेख द्वारा विक्रय कर रहे हैं। विक्रेता उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि के मालिक, कामिल व काबिज है एवं वर्तमान समय में उक्त भूमि कृषि भूमि है, और यह कि विक्रेता यह घोषित करता है कि उपरोक्त वर्णित भूमि सभी प्रकार के भारों से मुक्त एवं बाधा व साफ है तथा विक्रेता ने उसे इस विक्रय के पूर्व कहीं बय, हिबा, गिरवी या अनुबन्धित इत्यादि नहीं किया है। उपरोक्त भूमि या उसका कोई भाग किसी न्यायालय या सरकारी कार्यवाही के अन्तर्गत विवाद का वस्तु विषय नहीं है, न ही कुर्क इत्यादि है।

भारतीय गैर न्यायिक

बीस हजार रुपये

RUPEES

२०००० रुपये

Rs.20000 INDIA NON JUDICIAL Rs.20000

03CC 306746

-4-

विक्रेता के अलावा उक्त भूमि में किसी अन्य व्यक्ति का स्वत्व, हक या दावा इत्यादि नहीं है, एवं विक्रेता को उक्त विक्रय सम्पादन करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतएव उपरोक्त सहमति के फलस्वरूप रु0 11,35,869/- (ग्यारह लाख पैंतीस हजार आठ सौ उनहत्तर रुपया) के प्रतिफल में जिसका कि उपरोक्त क्रेता द्वारा विक्रेता को इस विलेख के अन्त में दी गई अनुसूची में वर्णित रीति के अनुसार भुगतान कर दिया गया है एवं जिसकी प्राप्ति को विक्रेता सही स्वीकार करते हैं, तदानुसार उक्त विक्रेता उक्त क्रेता के हाथ उपरोक्त वर्णित भूमि, जिसका विवरण इस निम्न विलेख

भारतीय गैर न्यायिक

बीस हजार रुपये

RUPEES

20000

R 20000 INDIA NON JUDICIAL R 20000

03CC 306747



के अन्त मे अनुसूची के अन्तर्गत दिया गया है, को कब्जा बेच दिया है, एवं विक्रेता ने विक्रयशुदा भूमि का मौके पर कब्जा क्रेता को बखूबी करा दिया गया है। अब उक्त आराजी पर विक्रेता तथा उसके वारिसान का कोई अधिकार नहीं है। विक्रेता ने विक्रयशुदा सम्पत्ति को अपने स्वामित्व के समस्त अधिकारों के साथ पूर्णतया व हमेशा के लिए क्रेता को हस्तान्तरित कर दिया है। अब क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति एवं उसके प्रत्येक भाग को अपने एकमात्र स्वामित्व व अधिकार व कब्जे में सम्पत्ति के रूप में धारण एवं उपयोग व उपभोग करेगी। विक्रेता उसमें किसी प्रकार की अड़चन

10000 रु.	भारतीय गैर न्यायिक	Rs.10000
10000 रु.	Rs.10000
दस हजार रुपये	RUPEES TEN THOUSAND
10000 रु.	Rs.10000
भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL

05AA 684140



बाधा नहीं डाल सकेंगे एवं न ही कोई मांग कर सकेंगे। और यदि बिक्रीशुदा सम्पत्ति अथवा कोई भाग विक्रेता के स्वामित्व में त्रुटि के कारण या कानूनी अड़चन या कानूनी त्रुटि के कारण क्रेता या उसके वारिसान निष्पादकगण इत्यादि के कब्जे या अधिकार या स्वत्व से निकल जाये तो क्रेता उसके वारिसान, निष्पादकगण इत्यादि को यह हक होगा कि वह अपना समस्त नुकसान मय हर्जा व खर्चा, विक्रेता की चल, अचल सम्पत्ति से जरिये अदालत वसूल कर ले। उस स्थिति में विक्रेता एवं उसके वारिसान हर्जा व खर्चा देने हेतु बाध्य होगा।

1000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१000रु.

Rs 1000

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES



यह कि क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति को दाखिल खारिज राजस्व अभिलेखों में अपने नाम दर्ज करा ले तो विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी और यह कि इस विक्रय विलेख के पूर्व का अगर कोई बकाया किसी तरह का भार इस सम्पत्ति पर होगा तो उसको विक्रेता भुगतान व वहन करेगा. विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी।

यह कि उपरोक्त खसरा नम्बर ग्राम मुहाक नगर अर्ध वाणिज्यिक, अर्धनगरीय क्षेत्र के सामान्य ग्राम के अन्तर्गत आता है इसलिए निर्धारित सर्किल रेट रू0 9,00,000/- प्रति हेक्टेयर के

INDIA NON JUDICIAL

१००० रु. R^s 1000

भारत

एक हजार रूपये ONE THOUSAND RUPEES



हिसाब से विक्रीत भूमि 0.605 हेक्टेयर की मालियत रू0 5,44,500/- होती है तथा उक्त भूमि पर एक नलकूप है जिसकी कीमत रू0 30,000/- होती है इस प्रकार उक्त भूमि की कुल मालियत रू0 5,74,500/- होती है। चूंकि विक्रय मूल्य, भूमि की बाजारू मूल्य से अधिक है इसलिए नियमानुसार विक्रय मूल्य पर ही रू0 1,13,600/- जनरल स्टाम्प अदा किया जा रहा है। यह कि उपरोक्त विक्रीत भूमि कृषि के उपयोग के लिए क्रय की जा रही है। इस भूमि में कोई कुआँ, तालाब, व निर्माण आदि नहीं है, तथा 200 मी0 के अर्धव्यास में कोई निर्माण नहीं है विक्रीत

भूमि किसी लिंक मार्ग, राजमार्ग व जनपदीय मार्ग पर स्थित नहीं है। विक्रीत भूमि सुल्तानपुर से लगभग 500 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। विक्रेता व क्रेता दोनों अनुसूचित जाति के सदस्य हैं। इस विक्रय विलेख के निष्पादन का समस्त व्यय क्रेता द्वारा वहन किया गया है।

परिशिष्ट : विवरण विक्रयशुदा सम्पत्ति का विवरण

भूमि खसरा नं0 102 रकबा 0.605 हेक्टेअर, स्थित ग्राम युसुफ नगर उर्फ बगियामऊ, परगना–बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ, जिसकी चौहद्दी निम्न है।

INDIA NON JUDICIAL

५०० रु. Rs 500

भारत

पाँच सौ रुपये FIVE HUNDRED RUPEES

A.T.O.T.O.
TRY.LKO



खसरा नं० 102, रकबा 0.605 हेक्टेयर

| | |
|---|---|
| पूरब | : खसरा संख्या–106 |
| पश्चिम | : खसरा संख्या–1196 |
| उत्तर | : खसरा संख्या–103, 105 |
| दक्षिण | : खसरा संख्या–101 |

परिशिष्ट : भुगतान विवरण

1. रु० 2,00,000/– (रुपया दो लाख मात्र) विक्रय विलेख के निष्पादन से पूर्व प्राप्त किये।

१०० रु. R^s 100

भारत

एक सौ रुपये ONE HUNDRED RUPEES



2. रू0 5,00,000/- द्वारा बियरर चेक नं0 099514 दिनांकित 08.12.2004 पंजाब नेशनल बैंक, हजरतगंज, लखनऊ।

3. रू0 4,35,869/- द्वारा बियरर चेक नं0 099515 दिनांकित 08.12.2004 पंजाब नेशनल बैंक, हजरतगंज, लखनऊ।

इस प्रकार कुल विक्रय मूल्य विक्रेता को रू0 11,35,869/- (ग्यारह लाख पैंतीस हजार आठ सौ उनहत्तर रुपया) क्रेता से प्राप्त हुए तथा जिसकी प्राप्ति विक्रेता स्वीकार करते हैं।

लिहाजा यह विक्रय पत्र हम विक्रेता ने क्रेता के पक्ष में समक्ष गवाहान बिना किसी जोर दबाव के, व स्वस्थ चित्त व मन की दशा में लिख दिया ताकि सनद रहे और आवश्यकता पड़ने पर काम आवें।

लखनऊ

दिनांक: 08.12.2004

गवाह

1\. Sunil Kumar

विक्रेता

2\.

क्रेता

टाईपकर्ता

(राजू सेनोही)

मसविदाकर्ता

(वेंकट रमन सिंह)

एडवोकेट

চতুঃসীমা ১১০ প্রতিনিধি, পৌর - সিলেট, প্রথম জিলা অনুযায়ী

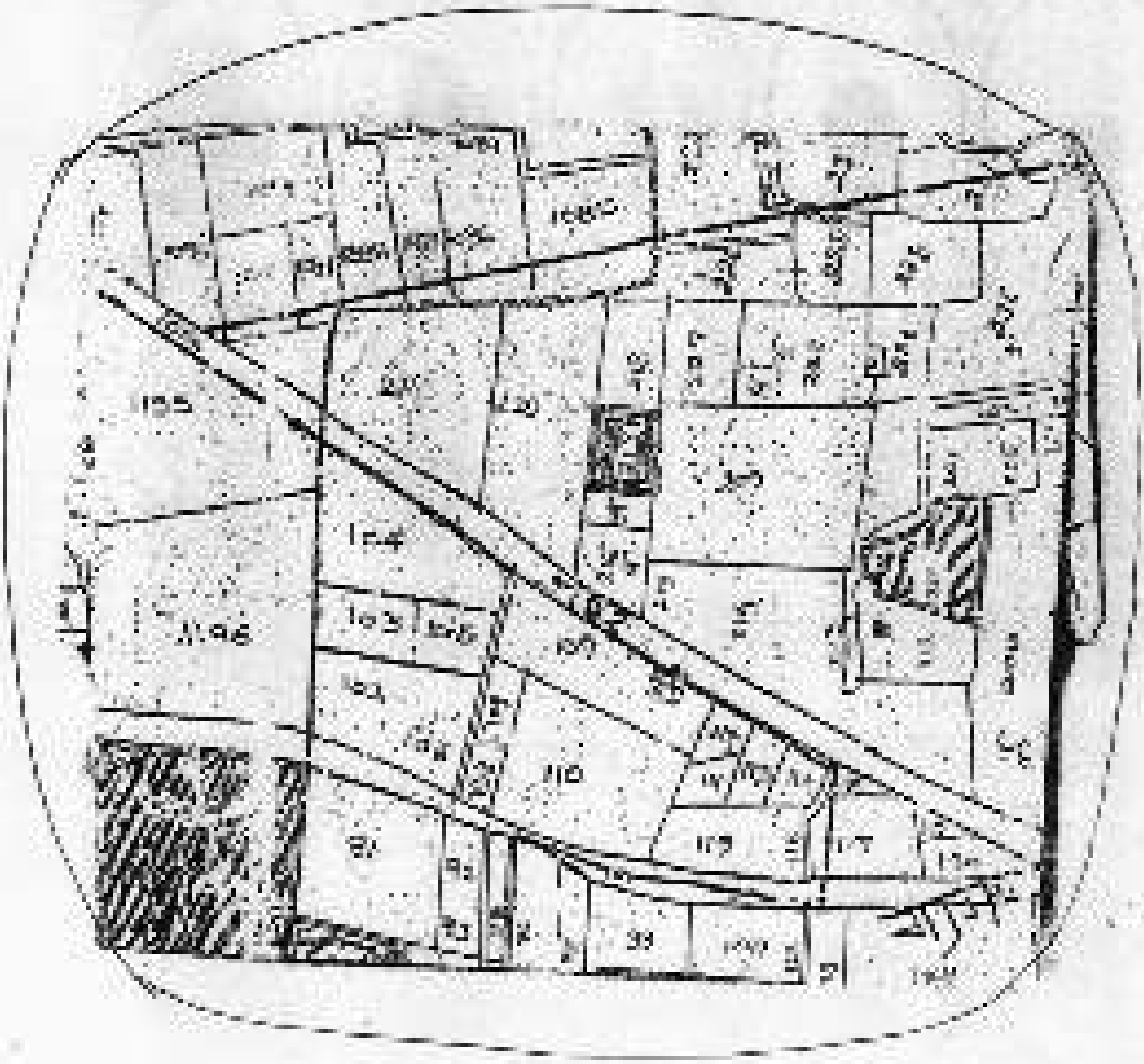

# रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा 32ए. के अनुपालन हेतु फिंगर्स प्रिन्टस्

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता का नाम व पता :

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :

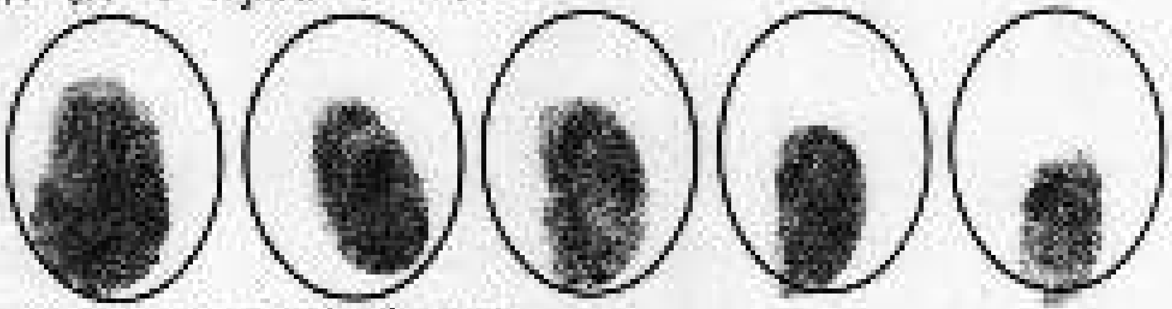

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :

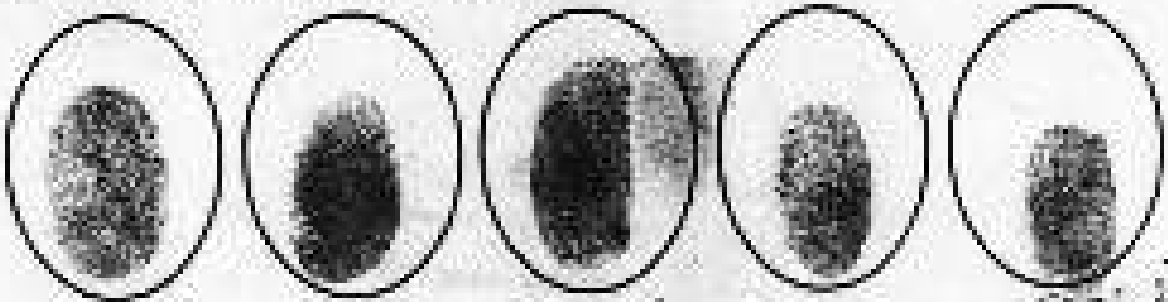

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर

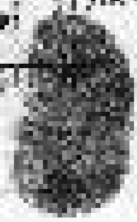

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता का नाम व पता :

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :

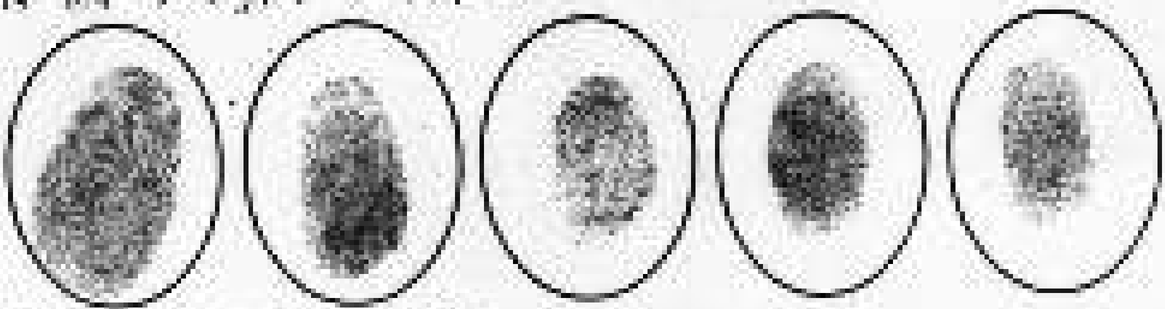

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :

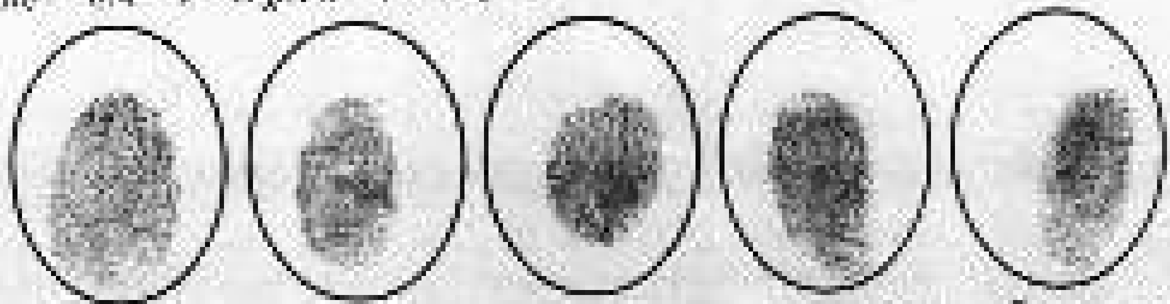

विक्रेता/प्रस्तुतकर्ता के हस्ताक्षर/निशानी